

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIAएस.जी.-डी.एल.-अ.-01012025-259787
SG-DL-E-01012025-259787xxxGIDHxxx
xxxGIDExxxअसाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 336]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 26, 2024/पौष 5, 1946	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 306
No. 336]	DELHI, THURSDAY, DECEMBER 26, 2024/PAUSHA 5, 1946	[N. C. T. D. No. 306

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग (प्रशासनिक शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2024

फा.सं. 4(118)/प्रशा./टीपीटी/2022/67468.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं0फा0 27/59—एचआईएम (प) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में जारी दिनांक 10 जून, 1987 की अधिसूचना सं0 फा0 (14)/87—एस—II के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में मल्टी टास्किंग स्टाफ के पद हेतु निम्नलिखित भर्ती नियम बनाते हैं:—

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :—** (1) इन नियमों को परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, मल्टी टास्किंग स्टाफ, भर्ती नियमावली, 2024 कहा जाए।
(2) ये आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :—** पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि** :— भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलों उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यता** :— वह व्यक्ति,
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
- शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।
5. **शिथिल करने की भावित** :— जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।
6. **बचाव** :— इन नियमों में सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबंधित किये जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

1.	पदनाम	:	मल्टी टारकिंग स्टाफ (एमटीएस)
2.	पदों की संख्या	:	120*(2023) * परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	पदों का वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -1 (वेतन मैट्रिक्स 18000-56900 /— रुपये)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	18-25 वर्ष* (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय उम्मीदवारों के लिये आयु-सीमा में 40 वर्ष तक शिथिलनीय)। नोट :- आयु सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि डीएसएसएसबी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा विज्ञापित होगी। *यदि अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता द्वारा पदों को भरा जाना है, तो आयु सीमा 18 से 27 वर्ष के बीच होगी।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	अनिवार्य :— मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष उत्तीर्ण।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु	:	लागू नहीं

	सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।		
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	सीधी भर्ती द्वारा
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है	:	लागू नहीं
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।	:	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ) 1. प्रधान सचिव/सचिव (प्रशासनिक सुधार) – अध्यक्ष 2. संबंधित विभागाध्यक्ष – सदस्य 3. उप-सचिव (सा0प्र0वि0) – सदस्य टीप :- यदि समिति का अधिसूचित अध्यक्ष समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो स्थायीकरण के विचारार्थ विभागीय पदोन्नति समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप राज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

कुलभूषण बब्बर, उपायुक्त (प्रशा0), परिवहन विभाग

TRABSOIRT DEOARTNEBT (ADNUBUSTRATION BRANCH)

NOTIFICATION

Delhi, the 13th December, 2024

No.F.4(118)/Admn/TPT/2022/67468 :- In exercise of the powers conferred by the provision to article 309 of the Constitution of India and read with the Government of India, Ministry of Home Affairs' Notification No. F.27/59 Him(i) dated 13th July, 1959 and in supersession of the notification no. F.(14)/87-S.II dated 10th June, 1987 issued in this regard, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make following recruitment rules for the post of Multi-Tasking Staff in Transport Department, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

- Short title and commencement-** (1) These rules may be called the Transport Department, Govt. of National Capital Territory of Delhi, Multi-Tasking Staff, Recruitment Rules, 2024.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of Posts, Classification and level in the pay matrix-** The number of posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualification etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said schedule.
4. **Disqualification-** No person,
 (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:
 Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
5. **Powers to relax-** Where the government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Serviceman and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

1	Name of the Post	Multi-Tasking Staff (MTS)
2	Number of post	120* (2024) *Subject to variation dependent on workload
3	Classification	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Non-ministerial
4	Level in the Pay Matrix	Level-1 (Pay Matrix Rs. 18000-56900) of the Pay Matrix
5	Whether Selection post or Non-Selection post	Not applicable
6	Age limit for direct recruits	Between 18-25 Years* (Relaxable for departmental candidates upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note:- The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by DSSSB/ Competent Authority. * In case of post being filled up by all-India Open Competition, the age limit would be between 18 year and 27 years.
7	Educational & other qualifications required for direct recruits	Essential: Matriculation or equivalent pass from Recognized Board/Institute.
8	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Not Applicable
9	Period of probation, if any	Two years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption & % of the vacancies to be filled by various methods.	By direct recruitment

11	In case of recruitment by promotion / deputation/ absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	Not applicable
12	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation): 1. Principal Secretary/Secretary (AR)- Chairperson 2. Head of the Department Concerned- Member 3. Dy. Secretary (GAD)- Member Note: Senior most member of the Departmental Promotion Committee for considering confirmation shall act as Chairperson in case the notified Chairperson of the Committee happens to be junior to another member of the Committee.
13	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi

KULBHUSHAN BABBAR, Dy. Commissioner (Admn.) of
Transport Department